<u>डिस्कलेमर</u>

आदेश संख्या 09/2024-25 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- IX

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 09/2024-25

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003.

जारी करने की तारीख: 24 सितंबर, 2024

विषय : मौजूदा टैरिफ की वसूली 31.03.2025 तक जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।

प्राधिकरण ने दिनांक 15 मार्च, 2024 के आदेश संख्या 40/2023-24 द्वारा निम्नलिखित हवाईअड्डों/हवाईअड्डा प्रचालकों को अन्य बातों के साथ-साथ 01.04.2024 से 30.09.2024 तक छ: (06) माह की अगली अवधि, या, उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए अंतरिम आधार पर टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी:

क्र. सं.	हवाईअड्डा प्रचालक का नाम	हवाईअड्डे का नाम
1.	जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जेआईएएल)	जयपुर
2.	गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल)	गुवाहाटी
3.	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीकेआईएएल)	त्रिवेन्द्रम
4.	डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	दिल्ली
5.	मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल)	मुम्बई
6.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)	इंदौर
7.		कोयम्बटूर
8.		अमृतसर
9.		वाराणसी
10	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी)	शिर्डी

2. प्राधिकरण ने उपर्युक्त हवाईअड्डों के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित करने संबंधी स्थिति की समीक्षा की और निम्नानुसार टिप्पणी की:

(i) जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेन्द्रम, कोयम्बटूर और शिर्डी हवाईअड्डे के लिए टैरिफ आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं।

(ii) दिल्ली, मुम्बई, वाराणसी और अमृतसर हवाईअड्डों संबंधी नियंत्रण अवधि (01.04.2024 से 31.03.2029) तथा इंदौर हवाईअड्डे संबंधी नियंत्रण अवधि (01.04.2023 से 31.03.2028) के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्तावों की जांच की जा रही है और टैरिफ निर्धारित करने के इस कार्य के पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा।

(iii) इसके अतिरिक्त, ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 2 (i) के अंतर्गत परिभाषित किए अनुसार 3.5 एमपीपीए से अधिक की निर्धारित क्षमता के आधार पर पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डा, सिविल एन्क्लेव को हालही में प्रमुख हवाईअड्डे के रूप में घोषित किया गया है। इस संबंध में एएआई से बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है।

3. उपर्युक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि दिल्ली, मुम्बई, वाराणसी, अमृतसर और इंदौर हवाईअड्डों के संबंध में वैमानिक सेवाओं के लिए अंतिम रूप से टैरिफ निर्धारित करने में थोड़ा समय लगेगा। पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डे की टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया एएआई से एमवाईटीपी प्राप्त होने के बाद शुरू की जाएगी, जो कि अभी भी प्रतीक्षित है। तदनुसार प्राधिकरण निम्नानुसार निर्णय लेता है:

निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित हवाईअड्डों/हवाईअड्डा प्रचालकों के संबंध में 30.09.2024 को लागू मौजूदा टैरिफ, अंतरिम आधार पर, 01.10.2024 से 31.03.2025 तक अगले 06 (छ:) माह की अवधि के लिए या संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाना:

तालिका 1

क्र. सं.	**हवाईअड्डा प्रचालक का नाम**	**हवाईअड्डे का नाम**
1.	डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)	दिल्ली
2.	मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल)	मुम्बई
3.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	इंदौर
4.		अमृतसर
5.		वाराणसी
6.		पोर्ट ब्लेयर

आदेश

प्राधिकरण इसके समक्ष रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) **हवाईअड्डा प्रचालकों (उपर्युक्त तालिका-I की क्रम संख्या 1 से 6 में सूचीबद्ध)** को 30.09.2024 को लागू मौजूदा टैरिफ अंतरिम आधार पर 01.10.2024 से 31.03.2025 तक अगले छ: (06) माह तक या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधि के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

1. अध्यक्ष
   भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
   राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
   नई दिल्ली-110003

2. श्री के नारायण राव**,** निदेशक
   डेल्ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**,**
   न्यू उड़ान भवन**,** टर्मिनल-**3** के सामने**,** नई दिल्ली-110037

3 श्री प्रकाश तुलसियानी**,** मुख्य कार्यपालक अधिकारी**,**
   मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**,**
   टर्मिनल-1बी**,** मुम्बई -400099

प्रतिलिपि :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003